RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 25/2025

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।		श्री मोहनराम, जय माजीसा भारत गैस एजेन्सी, जोधपुर। मो. 9829062300

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सांवलराम मेघवाल ।

आदेश

दिनांक : 23.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 13.02.2025 समय 11.00 ए.एम को रविन्द्रसिंह, प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा, थानाधिकारी पचपदरा द्वारा मिली सूचना के आधार पर पुलिस थाना पचपदरा में उपस्थित हुआ। पुलिस थानाधिकारी श्री अमराराम विश्नोई ने जानकारी दी की गत दिवस 12.02.2025 को सांयकालीन 8.30 बजे भांडियावास चौराहे, पचपदरा के पास एक वाहन बोलेरो पिकअप जिसके नंबर RJ19G]9397 थे, दुर्घटनाग्रस्त पाया गया। वाहन में परिवहित किये जा रहे कुल 89 non domestic सिलेंडरों को सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी द्वारा थाना परिसर में रखवाया गया, जिसकी सूचना मिलने पर में प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा अग्रिम कार्यवाही हेतु वहाँ उपस्थित हुआ। अतः समस्त 89 non domestic सिलेंडरों एवं वाहन बोलेरो पिकअप (RJ19GJ9397) को प्रथम दृष्टया अवैध मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3,6,7 के खण्ड 01 के तहत जब्त सरकार किया गया। समस्त 89 सिलेण्डरों मय गैस को सुरक्षा की दृष्टि से रूबरू मौतबिरानों के चौधरी एचपी गैस एजेन्सी बालोतरा के प्रतिनिधि किशनाराम गुजर पुत्र भोमाराम निवासी बायतु चिमनजी हाल मॅनेजर चौधरी एचपी गैस एजेन्सी बालोतरा को सुपूर्दगी में देकर हस्ताक्षर करवाए गए। दिनांक 16.02.2025 को श्री मोहनराम प्रो. जय माजीसा भारत गैस एजेन्सी द्वारा जिला रसद कार्यालय बालोतरा में उपस्थित होकर जब्त किए गए

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

सिलेंडरो को छोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें उन्होने बताया कि उनकी जोधपुर में जय माजीसा गैस नाम से गैस एजेन्सी है. उन्होने दिनांक 12.02.2025 को चालान नंबर 3668 वा 3559 द्वारा कैलास साऊ बालोतरा व सुरेश हलवाई बालोतरा के ऑडर पर कूल 89 सिलेण्डर जोधपुर से नाकोड़ा भेजे थे। उस गाडी वाहन सख्या R139 G19397 का पचपदरा सरहद के पास एक्सीडेन्ट हो गया था। जिसके बाद समस्त 89 non domestic सिलेण्डर को रसद विभाग बालोतरा द्वारा जब्त कर लिया गया था। चूंकि ड्राइवर दुर्घटना में घायल हो गया था, इस कारण उसके पास के गेटपास एवं चालान बिल विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाए एवं विभाग ने इन्हें अविधिक मान लिया एवं श्री मोहनराम ने 02 बिल व चालान पेश किए तथा उन्होने बताया कि उनकी एजेन्सी का वाहन RJ39 GJ6082 दिनांक 11.02.2025 को खराब हो गया था, जिस कारण उन्होने किराए पर गाड़ी लेकर सिलेण्डर भेजे क्योंकि नाकोड़ा में धार्मिक आयोजन था, जिसमें सिलेण्डरों का पहुंचना जरूरी था। श्री मोहनराम ने उन दोनों हलवाइयों के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किए। जिनमें श्री सुरेश एवं कैलास ने जय माजीसा भारत गैस एजेन्सी ने सिलेंडर मंगवाना स्वीकारा। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट सादर प्रेषित है एवं उपरोक्त जब्तशुदा 89 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया।

3. अप्रार्थी के अधिवक्ता दौराने बहस यह कथन किया कि अप्रार्थी मोहनराम जय माजीसा भारत गैस एजेंसी जोधपुर का प्रोपराईटर हैं। दिनांक 12.02.2025 को अप्रार्थी के एजेंसी का वाहन खराब होने के कारण वाहन बोलेरो पिक अप संख्या RJ19GJ9397 के साथ भारत गैस कंपनी के कुल 89 नॉन डोमेस्टिक सिलेण्डर का परिवहन जोधपुर से नाकोडा (बालोतरा) के लिये किया जा रहा था। दिनांक 12.02.2025 को सांय पचपदरा के पास में करीब 8.30 पी.एम. पर उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण थानाधिकारी पचपदरा द्वारा उक्त वाहन मय 89 व्यावसायिक सिलेण्डर को थाना परिसर मे लाया गया तथा तत्पश्चात प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा को सूचित किा गया। जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा द्वारा दिनांक 13.02.2025 को सुबह 11.00 ए.एम. पर उक्त वाहन मय सिलेण्डर के सबंध मे धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही कर उक्त सिलेण्डर को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से चौधरी एच पी गैस एजेंसी बालोतरा को गोदाम में रखने के लिये सुपुर्द किये। उक्त सिलेण्डर का ऑर्डर हलवाईयो द्वारा दिया गया था जिसका उपयोग नाकोडा मे होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में बनने वाले भोजन के लिये करना था, लेकिन वाहन

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

दुर्घटनाग्रस्त होने व धारा 6ए की कार्यवाही मे उक्त सिलेण्डर जब्त होने के कारण उक्त 89 सिलेण्डर का उपयोग नहीं हो सका। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पेश धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के आवेदन सहित संलग्न मौका फर्द व फर्द जब्ती के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त सिलेण्डर के परिवहन में किसी प्रकार के अपराध की संलिप्तता नहीं है तथा न ही उक्त सिलेण्डरों का उपयोग होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघंन नहीं किया है। अत्तः निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्व धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही को न्यायहित मे खारीज फरमावे।

4. हमने सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि पुलिस थानाधिकारी श्री अमराराम विश्नोई ने जानकारी के अनुसार गाडी नंबर RJ19GJ9397 का दुर्घटनाग्रस्त पाया गया एवं वाहन में परिवहित किये जा रहे कुल 89 non domestic सिलेंडरों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है। समस्त 89 non domestic सिलेंडरों एवं वाहन बोलेरो पिकअप (नबर RJ19GJ9397) को प्रथम दृष्टया अवैध मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6, 7 के खण्ड 01 के तहत जब्त सरकार किया गया। इसके प्रत्युतर मे अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रकट किया है कि अप्रार्थी मोहनराम जय माजीसा भारत गैस एजेंसी जोधपुर का प्रोपराईटर हैं। दिनांक 12.02.2025 को अप्रार्थी के एजेंसी का वाहन खराब होने के कारण वाहन बोलेरो पिक अप संख्या RJ19GJ9397 के साथ भारत गैस कंपनी के कुल 89 नॉन डोमेस्टिक सिलेण्डर नाकोडा मे होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग करने हेतु भेजे जा रहे थे, लेकिन उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण थानाधिकारी पचपदरा द्वारा उक्त वाहन मय 89 व्यावसायिक सिलेण्डर को थाना परिसर मे लाया गया तथा तत्पश्चात प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा ने उक्त व्यावसायिक सिलेण्डर को जब्त कर दिया गया। उक्त सिलेण्डर का ऑर्डर हलवाईयो द्वारा दिया गया था, जिसका प्रार्थना पत्र एवं चालान संलग्न है। उक्त व्यावसायिक सिलेण्डरों का अप्रार्थी के माजिसा गैस एजेंसी के नाम बिल जारी किये गये है। इसके अलावा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पेश धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के आवेदन सहित संलग्न मौका फर्द व फर्द जब्ती के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त सिलेण्डर के परिवहन में किसी प्रकार के अपराध की संलिप्तता नहीं है तथा न ही उक्त सिलेण्डरों का उपयोग होना पाया गया है। प्रार्थी द्वारा केवल उक्त सिलेण्डरों का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर जब्त किए गए है, लेकिन उक्त सिलेण्डरों से संबंधित माजिसा गैस

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

एजेंसी के नाम बिल चालान जारी हो रखे है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघंन नहीं किया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उक्त जब्त सुदा व्यावसायिक सिलेण्डर धार्मिक प्रोग्राम में वितरित करने हेतु जा रहे थे एवं वाहन का एक्सीडेंट हो जाने से उक्त व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर जब्त किये गए है। पत्रावली के संलग्न में अप्रार्थी जय माजिसा गैस एजेंसी के नाम 89 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का बिल होना पाया गया तथा जिस हलवाईयों द्वारा सिलेण्डर मंगवाया गया था उनके नाम का चालान होना पाया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त व्यावसायिक सिलेण्डर जब्त किया गया था, लेकिन उक्त सिलेण्डरों के संबंध में बिल एवं चालान होना पाया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में उक्त व्यावसायिक सिलेण्डरों का दुरूपयोग होना नहीं बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 6, 7 का उल्लंघन किया जाना नही पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रकरण मे सीजशुदा उक्त 89 गैस सिलेण्डर जो अस्थाई रूप से अप्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये गये है के लिये अप्रार्थी की ओर से निष्पादित सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त किये जाकर कब्जा सरकार से एत्दद्वारा मुक्त किया जाकर जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करे। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

6. आदेश आज दिनांक 22.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा